तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्याः 09/2025 जोसना देवी उर्फ जोशना देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
11–7–2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नी रामलाल जी, जाति– सरगड़ा, निवासी– हरजी रोड़, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः सुबटी पत्नी मीठीया जी, जाति– सरगडा, निवासी– हरजी रोड़, जावाल व विनोद कुमार पुत्र रामलाल जी, जाति– सरगड़ा, निवासी– हरजी रोड़, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी जोसना देवी उर्फ जोशना देवी तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः सुबटी व विनोद कुमार ने आज दिनांक 11–7–2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम जावाल, पटवार हल्का, जावाल में खाता संख्या नया 1059 खाता संख्या पुराना 767 खसरा संख्या 2581/384 रकबा 0–9522 हेक्टेयर व खसरा संख्या 385 रकबा 0–0300 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0–9822 हेक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसमें जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नि रामलाल का 700/14733 वां खातेदारी हक हिस्सा, नाबालिग ललिता पुत्री रामलाल का 700/14733 वां खातेदारी हक हिस्सा, विनोद पुत्र रामलाल का 700/14733 वां खातेदारी हक हिस्सा, पूनमाराम मेघवाल उर्फ पुनमा मेघवाल पुत्र धरमारामजी मेघवाल का 4211/9822 वां खातेदारी हक हिस्सा तथा श्याम सुन्दर पुत्र मिश्रीमलजी मेघवाल का 4211/9822 वां खातेदारी हक हिस्सा बतौर खातेदार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है जिसके खातेदारी हक हिस्से के संबंध में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही है। यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में विरासत नामान्तरकरण संख्या 2094 दिनांक 10–6–2025 के जरिये नाबालिग ललिता पुत्री रामलाल का संरक्षक कुदरती वली दादी सुबटी पत्नी मीठीयाजी को बनाया गया है, जिसके स्थान पर नाबालिग खातेदार ललिता पुत्री रामलाल की संरक्षक कुदरती वली माता जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नी रामलाल को बनाये जाने हेतु तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नी रामलाल, नाबालिग ललिता पुत्री रामलाल व विनोद पुत्र रामलाल का खातेदारी हक हिस्सा, सहखातेदार पुनमाराम मेघवाल उर्फ पुनमा मेघवाल पुत्र धरमारामजी मेघवाल व श्याम सुन्दर पुत्र मिश्रीमलजी मेघवाल से जरिये आपसी सहमति बंटवाड से पृथक करवाने में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, इसलिये जरिये राजीनामा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर नाबालिग ललिता पुत्री रामलाल की संरक्षक कुदरती वली दादी सुबटी पत्नी मीठीयाजी के स्थान पर नाबालिग ललिता पुत्री रामलाल की संरक्षक कुदरती वली माता जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नी रामलाल को बनाया जाने हेतु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में संशोधित नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में दिये जावे। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलार्थी जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नी रामलालजी, जाति– सरगडा, निवासी– जावाल द्वारा यह अपील, ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के खसरा संख्या ......लगातार	जोसना Vinod सुबटी Skumar

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्याः 09/2025 जोसना देवी उर्फ जोशना देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य	म्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	2581/384 रकबा 0–9522 हेक्टेयर चाही 2 व खसरा संख्या 385 रकबा 0–0300 हेक्टेयर चाही 2 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0–9822 हेक्टेयर भूमि के सहखातेदार रामलाल पुत्र मीठीया, जाति– सरगडा, निवासी– जावाल की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार रामलाल पुत्र मीठीया के उत्तराधिकारियों के पक्ष मे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2094 दिनांक 10–6–2025 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा नाबालिग ललिता पुत्री रामलाल का संरक्षक कुदरती वली दादी सुबटी पत्नी मीठीयाजी का नाम दर्ज किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2094 दिनांक 10–6–2025 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार रामलाल पुत्र मीठीया, जाति– सरगडा, निवासी– जावाल के उत्तराधिकारियों के नाम से पुनः नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने की कार्यवाही करे एवं नामान्तरकण में शेष खातेदारों की प्रविष्ठियों को यथावत रखते हुए नाबालिग खातेदार ललिता पुत्री रामलाल की संरक्षक कुदरती वली दादी सुबटी पत्नी मीठीया के स्थान पर नाबालिग ललिता पुत्री रामलाल की संरक्षक कुदरती वली माता जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नी रामलाल, जाति– सरगडा, निवासी जावाल का नाम दर्ज किया जावे। उक्त राजीनामा इस निर्णय का भाग समझा जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। **(डॉ. दिनेश राय सापेला)** **अतिरिक्त जिला कलेक्टर,** **सिरोही**	